# पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 180/2024 दिनांक- 07.06.2024

## प्रेस विज्ञप्ति

## थाना- कोतवाली

## महिला अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी करने वाला मुख्य अभियुक्त अपने 02 साथियों के साथ गिरफ्तार

**पूर्व की घटना**– दिनांक 04.06.2024 को चन्दन पाल पुत्र लालचन्द्र पाल निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 30.05.2024 को वादी की बहन की एक बच्ची जिला महिला हास्पिटल मातबरगंज आजमगढ मे पैदा हुयी थी। दिनांक 4/06/2024 को रात्रि समय करीब 2.34 बजे बच्ची को एक व्यक्ति वादी की बहन के पास से उठा कर लेकर चला गया है । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/2024 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया ।

➡ प्रकरण को संज्ञान में लेकर उक्त बच्ची की खोजबीन के लिये प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय द्वारा 02 टीमों का गठन किया गया।

➡ दिनांक 04.06.2024 को प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा नवजात बच्चे की तलाश व पतारसी करते हुए लगभग 200 कैमरों को चेक किया गया जिसके क्रम में अभियुक्ता सरोज पुत्री हंशराज निवासी ग्राम मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को उसके घर ग्राम मातनपुर से गिरफ्तार कर अपहृत बच्ची को बरामद किया गया ।

➡ दौरान विवेचना यह प्रकाश में आया कि अभियुक्ता ने सुरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजू नि0 बरईपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ व अन्य साथियों, मनोज राम, संगीता के साथ मिल कर दिनांक 04.06.2024 को अस्पताल से बच्चा चोरी किये थे।

**गिरफ्तारी का विवरण**– दिनांक 06.06.2024 को प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह, उ0नि0 रामकृष्ण सिंह, उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय, उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव द्वारा अभियुक्त 1. सूरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजूराम निवासी बरईपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष, व 2. संगीता पत्नी कमलेश कुमार निवासी बेदपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष, को राजघाट तिराहा से समय 13:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कपड़ा व तंत्र मंत्र विद्या की सामग्री बरामद की गयी।

➡ अभियुक्त सूरज कुमार की निशादेही पर अभियुक्त मनोज राम पुत्र केवल राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष को पवई थानाक्षेत्र के बलुआ मोड़ से समय करीब 23.35 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण**– पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्ता सरोज, सूरज कुमार के साथ रिलेशन में थी। सुरज कुमार को एनआईए (स्पोर्ट्स कोच) की पढाई हेतु 03 लाख रुपये की आवश्यकता थी। सरोजा की बहन संगीता जो पवई ब्लाक में सरकारी अस्पताल में कार्यरत है ने तंत्र मंत्र के जरिये किसी भी लड़की को लड़का बनाने की योजना बनाकर पैसा ऐंठने की तरकीब सोंची। संगीता ने उसके साथ काम करनें वाले मनोज राम पुत्र केवल राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ जिसकी दो लड़कियाँ थीं उसकी होनें वाली सन्तान को तंत्र मंत्र से लड़का बनानें की बात बताया तो मनोज राम तैयार हो गया । मनोज राम की पत्नी रेनू देवी जो पेट से थी जिसको झूठे तंत्र मंत्र के जरिये लड़का होनें की बात कहते रहे परन्तु उसे लड़की पैदा हुयी। यह बात मनोज राम से बर्दाश्त नहीं हुयी। मनोज राम से कहा गया कि यदि यह लड़की मार दी जाये तो उसे लड़का बनाया जा सकता है, तो मनोज राम नें अपनी *15* दिन की लड़की को अपने पवई स्थित सरकारी आवास में जान से मार दिया। इसके बाद उस नवजात बच्ची के शव को सरकारी आवास से कुछ दूरी पर हाइवे के किनारे स्थित डीह बाबा के स्थान पर रख दिया गया। इसके बाद मनोज राम ने उस नवजात बच्ची के बदले लड़का बनानें की बात कहने लगा तो अभियुक्त सूरज कुमार ने 29/30 मई *2024* को रात्रि में बिलरियागंज के पटवध गाँव से घर के चबूतरे पर से सोते हुये एक 6-7 माह के बच्चे को उठाकर मनोज राम को दिया गया और बताया कि तुम्हारी बच्ची को तंत्र मंत्र से लड़का बना दिया गया है। तो मनोज राम ने बच्चे की उम्र ज्यादा होनें की बात कहकर बच्चा लेने से इंकार कर दिया। तब अभियुक्त सूरज ने गाँव में जाकर बच्चे को रास्ते में मिले होने की बात कहकर उसके घर वालों को वापस कर दिया।

➡ मनोज राम द्वारा लड़का मांगे जाने पर अभियुक्त सूरज ने सरोज व संगीता के सहयोग से योजना बनाकर जिला महिला चिकित्सालय से दिनांक *30/05/2024* की रात्रि में 01 नवजात बच्चे को उठाकर सरोज के घर पहुँचा और बच्चे को सरोज के घर पर पहले से मौजूद मनोज राम व उसकी पत्नी रेनू देवी को दिया और बताया कि आपकी बच्ची को तंत्र मंत्र से जीवित कर दिया गया है। मनोज राम व उनकी पत्नी रेनू देवी ने बच्चे को देखा बच्चा लड़की होने की जानकारी होने पर मनोज राम व उनकी पत्नी रेनू ने बच्ची को लेने से मना कर दिया ।

➡ मनोज राम के द्वारा अपनी नवजात पुत्री को अपनी पत्नी रेनू देवी व सूरज उर्फ पप्पू व संगीता के साथ षड़यंत्र करके हत्या करने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0- 205/2024 धारा 302, 201, 120B भादवि0 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त सूरज कुमार उर्फ पप्पू द्वारा बिलरियागंज थाना क्षेत्र के चांदपुर पटवल से लड़के का अपहरण करने के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-189/2024 धारा 363 भादवि0 (बढोत्तरी धारा 311, 368, 120*B* भादवि0) पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. संगीता पत्नी कमलेश कुमार निवासीनी बेदपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष,
2. सूरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजूराम निवासी बरईपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष
3. मनोज राम पुत्र केवल राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु0अ0सं0- 338/2024 धारा 363,310,311,368,120 बी भादवि0 थाना कोतवाली आजमगढ़।

2- मु0अ0सं0- 205/2024 धारा 302, 201, 120B भादवि0 थाना पवई जनपद आजमगढ़।

3- मु0अ0सं0- 189/2024 धारा 363 भादवि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। (बढोत्तरी धारा 311, 368, 120*B* भादवि0)

**बरामदगी-** 02 बण्डल कपड़े (घटना में प्रयुक्त), 02 बण्डल तंत्र मंत्र पूजा मे प्रयुक्त सामाग्री

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**–

**1.** प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय, कां0 दमन पाण्डेय, कां0 नरेन्द्र तिवारी, कां0 सतेन्द्र पाठक, म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़।

2.उ0नि0 रामकृष्ण सिंह, उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय, उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 अखिलेश यादव, कां0 अरूण यादव, कां0 पिन्टु यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

## *थाना पवई*

## *अवैध असलहा व कारतूस एक गिरफ्तार*

दिनांक *07.06.24* को उ*0*नि*0* बद्रीनाथ मौर्य मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ वलिस्टर पुत्र नूर मोहम्मद नि*0* ग्रा*0* पवई बाजार थाना पवई जनपद आजमगढ़ को बलुवा तिराहा के पास से ग्राम सुम्हाडीह से समय *09.45* बजे एक नाजायज कट्टा *315* बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस *315* बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोगः**

1- मु*0*अ*0*सं*0 206/24* धारा *3/25* आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

**आपराधिक इतिहासः-**

1- मु*0*अ*0*सं*0 206/24* धारा *3/25* आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

**गिरफ्तार अभियुक्तः—**

1- निजामुद्दीन उर्फ वलिस्टर पुत्र नूर मोहम्मद नि*0* ग्रा*0* पवई बाजार थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब *31* वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-**

*1.*उ*0*नि*0* बद्रीनाथ मौर्य मय हमराह थाना पवई आजमगढ़ ।

## *प्रेस-विज्ञप्ति*

## पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन आजमगढ़ में किया नवीनीकृत बहुउद्देशीय हाल व आदर्श मेस का उद्घाटन।

आज दिनांक- 07.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में नवीनीकृत बहुउद्देशीय हाल व आदर्श मेस का उद्घाटन किया गया। बहुउद्देशीय हाल का सौन्दर्यीकरण किया गया है, जिसमें नई खिड़किया, कुर्सी, स्टेज, आदि का सुविधाओं से लैस है। उक्त हाल में एक साथ लगभग 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है।

बहुउद्देशीय हाल के उद्घाटन के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने नवीनीकृत आदर्श मेस का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जवानों के लिए बैठकर खाने की उचित व्यवस्था की गयी है। आदर्श मेस में *AC, TV,* पीने के लिए *RO* वाटर, आदि सुविधाओं से लैस है। जवानों के लिए *AC* की व्यवस्था की गयी है। आदर्श मेस में खाना बनाने वाली सामग्रियों को सुसज्जित तरीके से रखने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व प्रतिसार निरीक्षक अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहें।

# प्रेस नोट

## उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यू0पी0 112 के माध्यम से त्वरित नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आजमगढ़ को 14 अदद नये चार पहिया पुलिस रिस्पांस वाहन (पीआरवी) तथा 04 अदद दो पहिया पीआरवी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक यू0पी0 112 द्वारा आवंटित किये गये है।

आज दिनांक 07.06.2024 को इन वाहनों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में आयोजित किया गया।

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा सभी 18 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उनके आवंटित स्थानों हेतु रवाना किया गया। जनपद को प्रदत्त 14 चार पहिया पीआरवी मे से 06 पीआरवी रूफ माउण्टेड कैमरा से सुसज्जित है एवं घटनास्थल का स्वयमेव फोटो और वीडियो लेने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला पीआरवी, एवं महिला नाइट स्कोर्ट से सम्बन्धित आमजन/जनमानस को तत्काल सेवा प्रदान करने/सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उक्त समस्त पीआरवी जनपद आजमगढ को प्रदान की गई है। जिससे जनपद आजमगढ़ के नागरिक आपातकालीन हेल्पलाईन 112 का सही समय पर प्रयोग कर यू0पी0 112 के माध्यम से पुलिस के सहयोग से किसी भी समय सुरक्षा/सेवा प्राप्त कर सकते है। नई प्राप्त चार पहिया पीआरवी में से जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली व सिधारी को 02-02 पीआरवी तथा थाना सरायमीर, जहानागंज, मुबारकपुर, बरदह, बिलरियागंज, गम्भीरपुर, तरवॉ, रानी की सराय, तहबरपुर, व देवगॉव को क्रमशः 01-01 पीआरवी तथा प्राप्त दो पहिया में से अतरौलिया, अहरौला, कोतवाली व सिधारी को क्रमशः 01-01 पीआरवी आवंटित की गई है जो उक्त थाना क्षेत्रो में रहते हुये सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगे।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त 14 चार पहिया पीआरवी क्रमशः 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, व 5396 व 04 दो पहिया पीआरवी 5014, 5015, 5016 व 5017 का व्यवस्थापन

**चार पहिया पीआरवी का व्यवस्थापन**

| क्र0सं0 | पीआरवी | थाना क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | पीआरवी 5383 | थाना देवगॉव |
| 2 | पीआरवी 5384 | थाना तहबरपुर |
| 3 | पीआरवी 5385 | थाना कोतवाली |
| 4 | पीआरवी 5386 | थाना कोतवाली |
| 5 | पीआरवी 5387 | थाना रानी की सराय |
| 6 | पीआरवी 5388 | थाना सिधारी |
| 7 | पीआरवी 5389 | थाना सिधारी |
| 8 | पीआरवी 5390 | थाना तरवॉ |
| 9 | पीआरवी 5391 | थाना सरायमीर |
| 10 | पीआरवी 5392 | थाना गम्भीरपुर |
| 11 | पीआरवी 5393 | थाना जहानागंज |
| 12 | पीआरवी 5394 | थाना बिलरियागंज |
| 13 | पीआरवी 5395 | थाना मुबारकपुर |
| 14 | पीआरवी 5396 | थाना बरदह |

**दो पहिया पीआरवी का व्यवस्थापन**

| क्र0सं0 | पीआरवी | थाना क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | पीआरवी 5014 | थाना अतरौलिया |
| 2 | पीआरवी 5015 | थाना अहरौला |
| 3 | पीआरवी 5016 | थाना कोतवाली |
| 4 | पीआरवी 5017 | थाना सिधारी |

**थाना- रौनापार**

**किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-**

वादिनी मुकदमा रानी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर कि दिनांक *11.05.24* को समय *08.00* बजे वादिनी की पुत्री उम्र *17* वर्ष को वर्मा श्याम दुलारी स्कूल आराजी देवारा नैनीजोर (नई बस्ती) से आरोपीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर दिनांक *12.05.24* को मु*0*अ*0*सं*0 192/2024* धारा *363/366* भादवि बनाम *1.*आलोक पुत्र तीरथ राम *2.*संदीप साहनी पुत्र बृजराज साहनी साकिनान आराजी देवारा नैनीजोर (नई बस्ती) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ *3.*विशाल पुत्र अशोक साकिन भीमवर पीपरहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान *161* व *164* सीआरपीसी के अवलोकन व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा *376* भादवि व *3/4* पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण** –

आज दिनांक *07.06.24* को उ*0*नि*0* दयाशंकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप साहनी पुत्र बृजराज साहनी ग्राम आराजी देवारा नैनीजोर(नई बस्ती) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब *20* वर्ष को ग्राम करखिया मोड़ तिराहा से समय करीब *07.05* गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- मु*0*अ*0*सं*0 192/2024* धारा *363/366/376* भादवि व *3/4* पाक्सों एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1-मु*0*अ*0*सं*0 192/2024* धारा *363/366/376* भादवि व *3/4* पाक्सों एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1-संदीप साहनी पुत्र बृजराज साहनी ग्राम आराजी देवारा नैनीजोर(नई बस्ती) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब *20* वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

*1.* उ*0*नि*0* दयाशंकर मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

प्रेस- विज्ञप्ति

**थाना बरदह क्षेत्रान्तर्गत अधेड़ की हुई हत्या में वांछित/फरार 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 15-15 हजार रूपये का नकद पुरस्कार घोषित ।**

➡दिनांक- 30.05.2024 को वादी मुकदमा धर्मराज पुत्र समई राजभर निवासी उदियावा थाना बरदह आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दिया कि शादी टूटने की बात को लेकर विपक्षी 1. महेन्द्र राजभर पुत्र रामजनत राजभर, 2. रंगीला उर्फ रामसकल पुत्र शिवरतन निवासी कोहड़ा थाना पवई आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के भाई उदय राजभर पुत्र समई राजभर को धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दिया गया था, के सम्बन्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 178/2024 धारा 34/302 भादवि बनाम 02 नफर पंजीकृत किया गया। जिसमें दोनो अभियुक्त फरार चल रहे है। जिसके क्रम में-

➡आज दिनांक- 07.06.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा **थाना बरदह** पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 178/2024 धारा 34/302 भादवि से सम्बन्धित वांछित/फरार अभियुक्त 1. महेन्द्र राजभर पुत्र रामजनत राजभर, 2. रंगीला उर्फ रामसकल पुत्र शिवरतन निवासी कोहड़ा थाना पवई आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से प्रत्येक अभियुक्त पर 15-15 हजार रूपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया।

**थाना बिलरियागंज**

**चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।**

**पूर्व की घटना-**

दिनांक *06.06.2024* को वादी मुकदमा अली असगर पुत्र हसनरजा ग्रा*0* नसीरपुर फतेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया कि आलिया पब्लिक स्कूल के पास अपने मोटरसाइकिल वाहन सं*0 UP50BK2509* से अपने खेत में बजड़ा काटने के लिए जाना व वही से मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु*0*अ*0*सं*0 202/24* धारा *379* भा*0*द*0*वि*0* बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। आज दिनांक *07.06.2024* को चोरी के वाहन की बरमदगी करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अजय चौहान निवासी बराव थाना अहरौला जपनद आजमगढ़ की गिरफ्तारी की गयी है।

**गिरफ्तारी का विवरणः-**

आज दिनांक *07.06.2024* को उ*0*नि*0* संजय उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अजय चौहान निवासी बराव थाना अहरौला जपनद आजमगढ़ को *01* मोटर साइकिल के साथ ग्राम बोझिया के पास से समय करीब *07.00* बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियोग उपरोक्त मे धोखाधड़ी कर कूटरचित नम्बर प्लेट तैयार कर लगाया था अतःअन्तर्गत धारा *411 ,419, 420, 467, 468, 471* भादवि की बढोत्तरी की गयी अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह मोटर साईकिल चोरी कि है जिसे मै आलिया पब्लिक स्कूल के पास से चुराया था जिसका नं*0* प्लेट *UP50BP20xx*बदलकर चला रहा था जबकि गाड़ी का वास्तविक नं*0 UP50BK25xx* है जिससे मै जनता व पुलिस से बच सकु जिसको आज बेचने जा रहा था तो आपलोगों नें पकड़ लिया।

तत्पश्चात उक्त मोटर साइकिल पर लगे नम्बर प्लेट *UP50BP2022* को ई चालान एप से चेक किया गया तो वाहन स्वामी वंशराज जी पुत्र जीतई नि*0* मुन्चुरवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ तथा मोटर साइकिल के चेचिस नं*0 MBLJAR03XJ9J18277* को ई चालान एप से चेक किया गया तो वाहन स्वामी अबु तालिब पुत्र हसन रजा नि*0* नसीरपुर फतेहपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ रजि*0*न*0 UP50BK2509* प्रदर्शित हुआ।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु*0*अ*0*सं*0 202/2024* धारा *379* भा*0*द*0*वि*0* बढ़ोत्तरी धारा *411, 419, 420, 467, 468, 471* भा*0*द*0*वि*0* थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

*1.* अतुल चौहान पुत्र अजय चौहान निवासी बराव थाना अहरौला जपनद आजमगढ़

बरामदगी – *01* अदद मोटर साइकिल।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-**

1-उ*0*नि*0* संजय उपाध्याय मय हमराह का*0* आफताब आलम , का*0* सत्येन्द्र यादव , का*0* सुमित कुमार राव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।